

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प0 2 (ओएण्डएम) 13/2021/7557-96 दिनांक: 01 जनवरी, 2021

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) की बैंक गारंटी/परफोमेंस गारंटी आदि अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी समय पर उन्हें वापिस नहीं लाटाई जाती है तथा इस संबंध में आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती है।

साथ ही निविदा दाताओं के निविदा में असफल रहने पर उनकी बिड सिक्योरिटी भी समय पर नहीं लौटाई जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसी सभी बैंक गारंटी/परफोमेंस गारंटी एवं बिड सिक्योरिटी की सूची दिनांक 05 जनवरी, 2021 तक बनाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें तथा 10 जनवरी, 2021 तक उन्हें लौटाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाएं।

Dr
11/1/21
(डॉ० ओम प्रकाश)

आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी

क्रमांक: प0 2 (ओएण्डएम) 13/2020/7557-96

दिनांक: 01.01.2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान), मुख्यालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक (योजना प्रभारी) कृषि/ उद्यान विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी/ सूचना)
8. केयर टेकर, पंत कृषि भवन, मुख्यालय, जयपुर।
9. आरक्षी पंजिका।

Dr
आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी